न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 45/13 निर्णय दिनांकः– 26–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2013/00020)

1.	लक्ष्मणराम	पुत्रगण मानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।
2.	हुक्माराम	
3.	श्रवणराम	
4.	पुनमाराम	
5.	रेवन्तराम	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. गंगादेवी पत्नी मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।

2.	पूनमचन्द	पुत्र/पुत्री स्व. मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।
3.	निर्मला	
4.	राजेश्वरी	
5.	धूड़ाराम	

6. प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 46/13
(आरसीएमएस संख्या 2013/00022)

1.	सुन्दरराम पुत्र पूर्णाराम	जाति मेघवाल निवासी ग्राम भैरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।
2.	राजूराम पुत्र सुन्दरराम	
3.	पूनमचन्द पुत्र सुन्दरराम	
4.	पवन कुमार पुत्र ईश्वरराम	

–अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–बनाम–

1. जैसाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ़ रेल्वे स्टेशन के सामने वाली गली नम्बर 7, रामपुरा बस्ती, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्

3. अपील संख्याः 47 / 13
(आरसीएमएस संख्या 2013 / 00020)

1.	लक्ष्मणराम	पुत्रगण मानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।
2.	हुक्माराम	
3.	श्रवणराम	
4.	पुनमाराम	
5.	रेवन्तराम	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. जैसाराम पुत्र सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी लालगढ़ रेल्वे स्टेशन के सामने वाली गली नम्बर 7, रामपुरा बस्ती, बीकानेर।
2. प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

4. अपील संख्याः 76 / 13
(आरसीएमएस संख्या 2013 / 00026)

1. गंगादेवी पत्नी मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।

2.	पूनमचन्द	पुत्र / पुत्री स्व. मोडाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।
3.	निर्मला	
4.	राजेश्वरी	
5.	धूड़ाराम	

–अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–बनाम–

1. प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम

2.	हुक्माराम	पिसरान मानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।
3.	श्रवणराम	
4.	पूनमाराम	
5.	रेवन्तराम	
6.	लक्ष्मणराम	

–रेस्पोडेन्ट्स

5. अपील संख्याः 77 / 13
(आरसीएमएस संख्या 2013 / 00214)

1. जैसाराम पुत्र कुम्भाराम(फौत)
2. भंवरलाल पुत्र जैसाराम
3. रूगाराम पुत्र जैसाराम
4. रणधीर पुत्र जैसाराम
5. अर्जुनराम पुत्र जैसाराम
6. मोडाराम पुत्र कुम्भाराम
7. गंगा बेवा स्व. मोडाराम
8. पूनमचन्द पुत्र स्व. मोडाराम
9. नारायणकी पुत्री स्व. मोडाराम
10. राजा पुत्री स्व. मोडाराम
11. धड़ाराम पुत्र स्व. मोडाराम
12. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम
जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीमती लीलादेवी पत्नी ईश्वरराम
2. पवन कुमार
जाति मेघवाल निवासी गली नम्बर 5 रामपुरा बस्ती, बीकानेर।
3. मांगीलाल
4. सुरेश कुमार
पुत्रगण ईश्वरराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती, बीकानेर।
5. आसूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
7. उपपंजीयक, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

प्रभारी अपील अधिकारी
बीकानेर

6. अपील संख्याः 78 / 13
(आरसीएमएस संख्या 2013 / 00027)

1. जैसाराम पुत्र कुम्भाराम(फौत)
2. भंवरलाल पुत्र जैसाराम
3. रूगाराम पुत्र जैसाराम

4. रणधीर पुत्र जैसाराम
5. अर्जुनराम पुत्र जैसाराम
6. मोडाराम पुत्र कुम्भाराम
7. गंगा बेवा स्व. मोडाराम
8. पूनमचन्द पुत्र स्व. मोडाराम
9. नारायणकी पुत्री स्व. मोडाराम
10. राजा पुत्री स्व. मोडाराम
11. धड़ाराम पुत्र स्व. मोडाराम
12. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम

जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।

2. आसूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
4. उपपंजीयक, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

<u>7. अपील संख्याः 79/13</u>

(आरसीएमएस संख्या 2013/00214)

1. जैसाराम पुत्र कुम्भाराम (फौत)
2. भंवरलाल पुत्र जैसाराम
3. रूगाराम पुत्र जैसाराम
4. रणधीर पुत्र जैसाराम
5. अर्जुनराम पुत्र जैसाराम
6. मोडाराम पुत्र कुम्भाराम
7. गंगा बेवा स्व. मोडाराम
8. पूनमचन्द पुत्र स्व. मोडाराम
9. नारायणकी पुत्री स्व. मोडाराम
10. राजा पुत्री स्व. मोडाराम
11. धड़ाराम पुत्र स्व. मोडाराम
12. मोहनराम पुत्र कुम्भाराम

जाति मेघवाल निवासी रामपुरा बस्ती गली नम्बर 4, बीकानेर।

—अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजूराम पुत्र सुन्दरराम जाति मेघवाल निवासी भरूपावा तहसील बीकानेर।
2. आसूराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी भोलासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।
4. उपपंजीयक, बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

8. अपील संख्याः 80 / 13
(आरसीएमएस संख्या 2013 / 00023)

1. जैसाराम पुत्र कुम्भाराम (फौत)
1/1. भंवरलाल पुत्र जैसाराम
1/2. रूघाराम पुत्र जैसाराम
1/3. रणवीर पुत्र जैसाराम
1/4. अर्जुन पुत्र जैसाराम
जाति मेघवाल निवासी गली नम्बर 4 रामपुरा बस्ती, बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1.	प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम	
2.	हुक्माराम	पिसरान मानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम भरूपावा तहसील व जिला बीकानेर।
3.	श्रवणराम	
4.	पूनमाराम	
5.	रेवन्तराम	
6.	लक्ष्मणराम	

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 18–12–2012
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी,(अभिभाषक अपीलांट् अपील संख्या 45 / 13 से 47 / 13 व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 76 / 13 से 80 / 13)
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, (अभि. रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 45 / 13 से 47 / 13 व अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 76 / 13 से 80 / 13)
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 18–12–2012 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति सभी पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 45/13, 46/13 व 47/13 में बहस व अपील संख्या 76/13 से 80/13 में प्रतिउत्तर बहस में बताया कि ग्राम भरूपावा के पुराने खसरा नम्बर 51 मिन जिसके नये खसरा नम्बर 135 तादादी 0.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 तादादी 8.87 हेक्टर व खसरा नम्बर 179/137 तादादी 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 133 तादादी 7.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 17/134 तादादी 2.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 178/136 तादादी 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 134 तादादी 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 176/132 तादादी 0.26 हेक्टर भूमि पैमूद हुई है, उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता को बतौर टीसी आवंटन वर्ष 1980 में हुई थी तथा आवंटन पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के बाबत् धोषणात्मक वाद व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18–12–2012 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि उनके कब्जे काश्त में रही हो। केवल मात्र मौखिक कथन से रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के कथनों को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्स वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा कानून के

इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि पर आज दिनांक तक काबिज काश्त है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट्/प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के बजाय दोनों पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरबीजे 1997 पेज 339 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील संख्या 76/13 से 80/13 में व अपील संख्या 46/13 से 48/13 में प्रतिउत्तर बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम भरूपावा के खसरा नम्बर 51 मिन में तादादी 40 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पिता/पति को बतौर टीसी आवंटन वर्ष 1981 में की गई थी। उक्त भूमि चकबन्दी में खेत खसरा नम्बर 134 में 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 176/132 में 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 133 में 7.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 177/134 में 2.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 178/136 में 0.31 हेक्टर कुल तादादी 10.12 हेक्टर भूमि पैमूद हुई, तभी से उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्/प्रार्थी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। कालान्तर में जैसाराम पुत्र कुम्भाराम वा मोडाराम पुत्र कुम्भाराम के नाम से दिनांक 24–01–2007 को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्रकरण में अपील संख्या 46/13 से 48/13 में वर्णित अपीलांट्स द्वारा उनकी

खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश करने पर अमादा होने पर अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया। जबकि लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी को पूर्व में खसरा नम्बर 51/2 व खसरा नम्बर 51/9 में आवंटित भूमि चकों में जाने के उपरान्त चक 1 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 209/49 व 209/57 में पैमूद होकर अन्य लोगों को उक्त भूमि आवंटित हो चुकी है। ऐसी स्थिति तमाम राजस्व रिकार्ड से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि वादग्रस्त भूमि से लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी या उनके वारिसान का कोई सरोकार नहीं है।

उन्होनें आगे बताया जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के पुरानी तारीखों में खातेदारी हासिल करने का प्रश्न है, इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे कि अपीलांट्स लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी के कथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। यह कतई संभव नहीं है कि पुरानी तारीखों में इतने राजस्व रिकार्ड तैयार करवाते हुए खातेदारी हासिल कर ली जावे। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष यह सभी तथ्य व राजस्व रिकार्ड मौजूद होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी द्वारा वादग्रस्त भूमि बतौर टीसी आवंटन वर्ष 1980 में होने का व आवंटन पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स के कब्जा काश्त का कथन करते हुए अदालत मातहत के आदेश जैर अपील जिसके माध्यम से उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने की इस्तदुआ अपील के माध्यम से की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत मामलों में दोनों पक्षों द्वारा उक्त अपीलों के माध्यम से आदेश जैर अपील को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार करने की मांग की गई है। उक्त भूमि के बाबत् दोनों पक्षों द्वारा वादपत्र क्रमश धारा 88 व 183 के तहत व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18—12—2012 को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रदान किये गये है।

अपीलांट्स लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी अपने टीसी आवंटन के समर्थन में यह अभिलिखित किया गया है रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अमला से मिल कर अपने नाम से अचानक पुरानी तारीखों में बिना किसी आदेश के वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हासिल करने का कथन करते हुए उक्त की गई कार्यवाही को शून्य प्रभावी बताया है तथा दूसरी तरफ जैसाराम व मोडाराम व उनके वारिसों द्वारा उक्त पूर्व प्रविष्ठी के आधार पर कब्जा मानकर उसके कब्जे के संरक्षण का अनुतोष मांगा है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम भरूपावा के खसरा नम्बर 51 मिन तादादी 40 बीघा भूमि जैसाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल व ग्राम भैरूपावा के खसरा नम्बर 51 मिन तादादी 40 बीघा भूमि मोडाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल को बतौर टीसी वर्ष 1966 से 1968 हेतु तीन साला आवंटन की गई थी। तत्पश्चात् तहसीलदार (भू–अभिलेख), बीकानेर एवं शिविर प्रभारी द्वारा दिनांक 24–01–2007 को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03–01–1979, दिनांक 04–01–1989 व दिनांक 29–09–1995 तथा जिला कलेक्टर, बीकानेर के पत्रांक 12712(1)/राजस्व/II/1073 दिनांक 12–03–2003 द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की उपधारा (कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970) व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत जैसाराम पुत्र कुम्भाराम को ग्राम भरूपावा के खसरा नम्बर 134 तादादी 3.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 176/132 तादादी 0.26 हेक्टर कुल किता 2 तादादी 3.79 हेक्टर भूमि व मोडाराम पुत्र कुम्भाराम को ग्राम भैरूपावा के खसरा नम्बर 133 रकबा 7.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 177/134 तादादी 2.68 हेक्टर व खसरा नम्बर 178/136 रकबा 0.31 हेक्टर भूमि कुल किता 3 तादादी 10.12 हेक्टर भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है तथा उक्त आदेश के अनुसरण में जैसाराम पुत्र कुम्भाराम व मोडाराम पुत्र कुम्भाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित चला आ रहा है। अपीलांट्स लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी या उनके वारिसान द्वारा उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी या उनके वारिसान द्वारा जब तक वर्तमान प्रविष्ठी को अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक गत् वर्षो के राजस्व रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अन्य का कब्जा होना नहीं माना जा सकता।

भूमि की खातेदारी के बारे में निर्णय नियमित वाद की सुनवाई के उपरान्त किया जाना है। इस दौरान रिकार्ड के आधार पर एक पक्ष द्वारा विवादित भूमि का अन्तरण किया जाता है तो वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही असफल हो जायेगा। परन्तु जहॉ तक वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि पर कब्जे व खातेदारी अधिकारों को लेकर राजस्व रिकार्ड जैसाराम पुत्र कुम्भाराम व मोडाराम पुत्र कुम्भाराम व उनके वारिसों के पक्ष में रहा है ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय से पूर्व कब्जे को लेकर अन्य विवाद होने की संभावना के मद्देनजर रिकार्डेड खातेदार को कब्जे का समर्थन करना विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय दिनांक 18–12–2012 निरस्त किये जाकर आदेश दिये जाते है कि वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के खातेदारान् जैसाराम पुत्र कुम्भाराम व मोडाराम पुत्र कुम्भाराम व उनके वारिसान के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने से लक्ष्मणराम, राजूराम व ईशरराम, लालीदेवी व उनके वारिसान को प्रतिबंधित किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26–12–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अध्यक्ष अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.06 13:50:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: